स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री करेंगे लोक सेवा अधिकार अधिनियम का शुभारंभ

आज से सेवा की गारंटी पटना, जागरण ब्यूरो : अब तय समय सीमा के भीतर हर हाल में लीजिए सरकारी सेवाएं। सेवाएं न मिली तो अपील करें। तय समय पर सेवा उपलब्ध न कराने वाले सरकारी कर्मी को सेवा उपलब्ध न कराने की स्थिति में प्रति दिन 250 रुपये के हिसाब से आर्थिक दंड तो मिलेगा ही साथ ही उनकी चरित्र पुस्तिका पर इसका असर भी दिखेगा। लोगों को बड़ी सुविधा व राहत दिलाने वाले कानून लोक सेवा अधिकार (आरटीएस) का आरंभ स्वतंत्रता दिवस यानी पंद्रह अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। फिलहाल दस विभागों की पचास सेवाएं लोक सेवा अधिकार के तहत शामिल की गयी हैं। आरटीएस की तैयारियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव दीपक कुमार व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव राजेश भूषण ने विस्तार से बताया। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने कहा कि सेवाएं तीन चरणों में उपलब्ध होगी। फिलहाल पहले चरण की व्यवस्था आरंभ की जा रही है। इसके तहत सेवा के लिए आवेदन पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के तहत लिए जाएंगे। सभी जगहों पर इसके आज से सेवा की गारंटी लिए कियोस्क बना लिए गए हैं। इसके लिए सभी जिलों में एक आइटी मैनेजर, आईटी सहायक व प्रखंडों में एक-एक अटेंडेंट की व्यवस्था की गयी है। दूसरे चरण में यह व्यवस्था की जायेगी कि कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं के लिए घर बैठे आनलाइन आवेदन कर सकेगा। यह व्यवस्था एक माह में शुरू हो जायेगी। तीसरे चरण में यह व्यवस्था होगी कि जो सेवा मांगी जायेगी उसकी डिलिवरी भी आन लाइन हो सकेगी। यह सुविधा 26 जनवरी से उपलब्ध हो जायेगी। कार्मिक सचिव ने बताया कि आने वाले समय में लोक सेवा अधिकार के तहत कई नयी सेवाओं को भी शामिल किय जा सकता है। तत्काल सेवा भी शुरू होगी। पूरी व्यवस्था की आनलाइन मानीटरिंग की भी व्यवस्था की गयी है। यह सिस्टम अधिकार साफ्टवेयर के तहत काम करेगा। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था होगी कि जिस व्यक्ति को जो काम करना है उसके कंप्यूटर पर यह जानकारी मिलती रहेगी कि उसके पास कितने आवेदन आए और कितने आवेदनों का निपटारा हुआ। यही नहीं उसके ऊपर के सभी अधिकारी भी अपने कंप्यूटर टर्मिनल से इसका अनुश्रवण कर सकेंगे। लोगों की सुविधा के लिए हर जिले में मे आई हेल्प यू कांउटर बनाया गया है जहां लोगों को यह बताया जायेगा कि उन्हें कहां आवेदन करना है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने कहा कि सुशासन के एजेंडे के 200 बिंदुओं में पहला बिंदु लोक सेवा अधिकार का ही था। यह सेवा लागू होने से कई महत्वपूर्ण सेवाएं तय अवधि में मिल जाएंगी। इसके तहत जाति प्रमाण पत्र आवेदन के इक्कीस कार्यदिवसों के अंदर मिल सकेगा। इसी तरह आवासीय प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र आवेदन के इक्कीस दिनों के भीतर, वाहन चलाने का लर्निंग

लाइसेंस आवेदन के पंद्रह दिनों के भीतर मिल जायेगा। चरित्र प्रमाण पत्र 28 दिनों में तथा शहरी क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण आवेदन के 45 दिनों के भीतर हो सकेगा। अंकपत्र में संशोधन व माइग्रेशन का प्रमाण पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मामले में दस दिन व विश्वविद्यालय के स्तर पर पंद्रह दिनों के भीतर मिल जाएगा|